सत्यमेव जयते

कोयला मंत्रालय

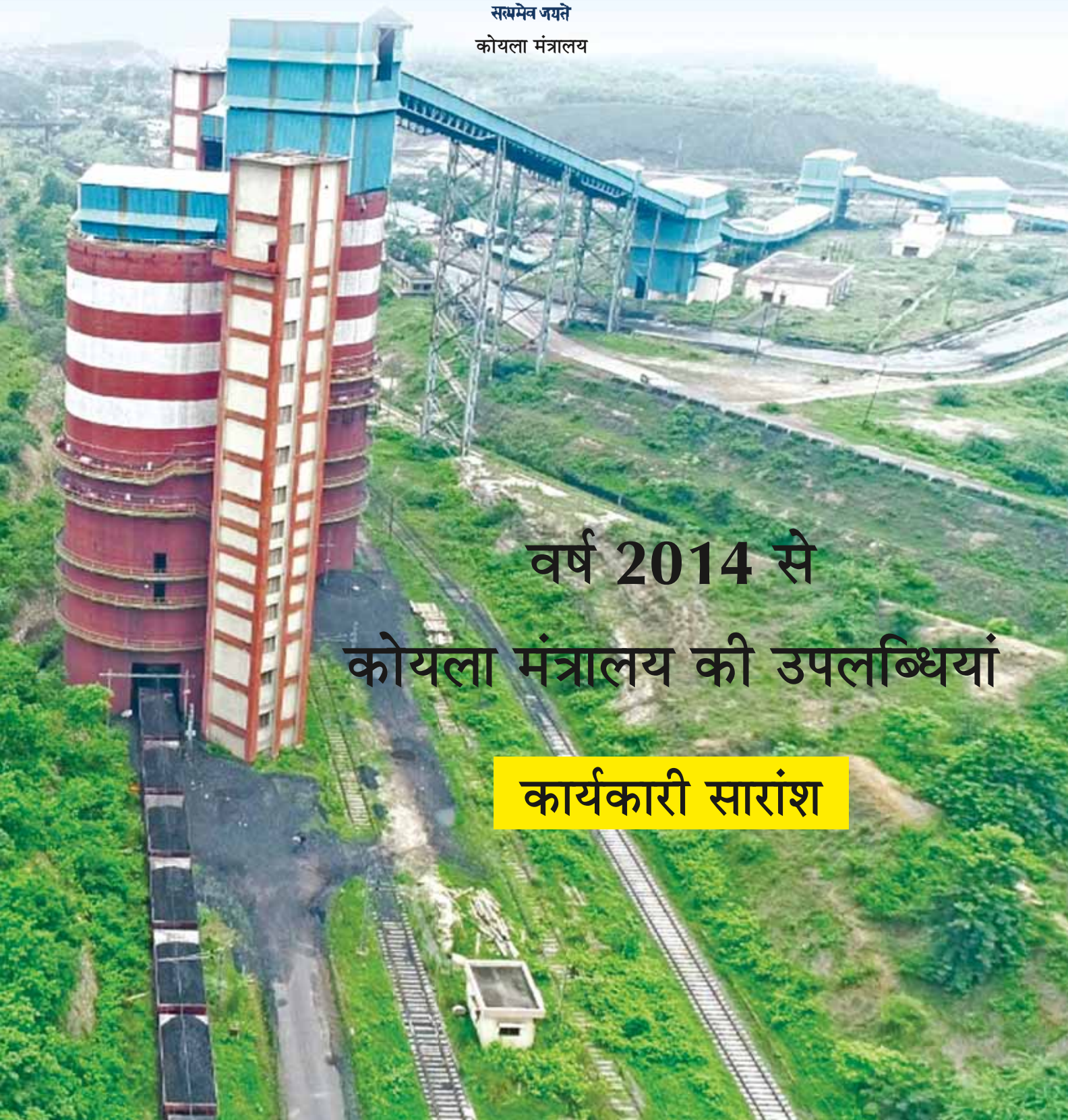

वर्ष 2014 से
कोयला मंत्रालय की उपलब्धियां

कार्यकारी सारांश

सुधार :

ओडिशा में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के भरतपुर क्षेत्र में कोल हैंडलिंग प्लांट के आसपास विकसित हरित क्षेत्र

वर्ष 2015

क) एडीआरएम/एएमआरसीडी

(i) सीआईएल/उसकी सहायक कंपनियों और अन्य केन्द्रीय / राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक एडीआरएम का गठन किया गया था ताकि दो सार्वजनिक उपक्रमों (केन्द्र राज्यों) को अपने विवादों को सुलझाने के लिए अदालतों में नहीं जाना पड़े। एडीआरएम समिति के निर्णय के बाद सीआईएल भी अदालतों में नहीं जाएगी।

(ii) एडीआरएम समिति ने 22.09.2015 से अब तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, एनटीसीपी, डीवीसी और सीआईएल की सहायक कंपनियों के साथ 15 बैठकें की है और इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच 88 विवादों का समाधान किया है।

(iii) एडीआरएम (हरियाणा) :- एडीआरएम (हरियाणा) की तीन बैठकें हुई जिनमें 39 विवादों का समाधान किया गया।

ख) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1993 से आवंटित 2018 कोयला ब्लॉकों में से 204 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने के निर्णय और आदेश के आलोक में स्टील, सीमेंट और विद्युत उपयोगिताओं जैसे मुख्य क्षेत्रों जो कि देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण, में कोयले की तीव्र कमी को दूर करने और घरेलू उपभोक्ताओं, मध्यम और छोटे उद्यमों, कुटीर उद्योगों की कठिनाइयों को कम करने और नए आवंटितियों को कोयला खानों का आवंटन करके कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए, सीएमएसपी अधिनियम, 2015, 30.03.2015 से लागू किया गया था।

1. **कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के तहत खानों का आवंटन**

- सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तह, 107 कोयला खानों का सफलतापूर्वक आवंटन किया गया है। इन 107 कोयला खानों में से 47 को ई-नीलामी के माध्यम से और 60 को सरकारी कंपनियों को आवंटित किया गया है। इन 107 कोयला खानों में से 48 कोयला खानों को विनियमित क्षेत्र अर्थात् विद्युत को, 22 कोयला खानों को गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) अर्थात् लोहा, इस्पात, सीमेंट और कैप्टिव पावर के साथ-साथ 37 कोयला खानों का आवंटन कोयले की बिक्री के लिए किया गया है।
- सीएमएसपी अधिनियम, 2015 के तहत आवंटित खानों से वित्तीय वर्ष बार कोयला उत्पादन नीचे दिया गया है-

वित्तीय वर्ष	मिलियन टन में कोयला उत्पादन
2015-16	11.81
2016-17	15.31
2017-18	16.20
2018-19	25.10
2019-20	30.76
2020-21	37.50

ग) सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के तहत कोयला खानों के आवंटन के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली

- सीसीईए द्वारा **निर्दिष्ट अंत्य उपयोग के लिए कोयला खानों / ब्लॉकों की नीलामी और आवंटन के लिए** फ्लोर / रिजर्व मूल्य तय करने की पद्धति को 24.12.2004 को अनुमोदित किया गया था और इस संबंध में आदेश 26.12.2014 को जारी किया गया था।
- **कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों / ब्लॉकों के आवंटन के** लिए अग्रिम भुगतान और आरक्षित मूल्य तय करने की पद्धति को सीसीईए द्वारा दिनांक 16.12.2015 को अनुमोदित किया गया था और इस संबंध में आदेश 08.01.2016 को जारी किया गया था।
- **कोयला / लिग्नाइट की बिक्री के लिए कोयला और लिग्नाइट खानों / ब्लॉकों की नीलामी की** प्रणाली और कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को सीसीईए द्वारा 20.05.2020 को अनुमोदित किया गया है और आदेश 28.05.2020 को जारी किया गया है।

घ) कोयला परियोजना निगरानी पोर्टल ईसीपीएमपी पोर्टल 2015 में चालू कोयला परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए शुरू किया गया था।

वर्ष 2016

2. **गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए कोयला लिंकेज :**

2016 में, गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी पर एक नई नीति पेश की गई थी जिससे सभी लिंकेज नीलामी पर आधारित रहेंगे। पांचवां चरण चल रहा है। इन नीलामियों के तहत अब तक 130.19 एमटीपीए कोयला लिंकेज बुक किए जा चुके हैं।

3. **ब्रिज लिंकेज पॉलिसी**

2016 में, केन्द्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों (दोनों विद्युत के साथ-साथ गैर-विद्युत क्षेत्र में) के निर्दिष्ट अंत्य उपयोग संयंत्रों को ब्रिज लिंकेज प्रदान करने की नीति, जिन्हें कोयला खानें / ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, को 08.02.2016 को जारी किया गया था।

- 37 सार्वजनिक उपक्रमों ने 43,100 मेगावाट क्षमता के लिए ब्रिज लिंकेज प्रदान किया

वर्ष 2017

4. एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत 11 कोयला और 2 लिग्राइट ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इन ब्लॉकों को केन्द्र / राज्य सरकार की कंपनियों को आवंटन के माध्यम से आवंटित किया गया है। साथ ही, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को कोयले की बिक्री के लिए 89 कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें से 7 कोयला ब्लॉकों की एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत सफलतापूर्वक नीलामी की गई है।

5. **सीबीए नियम, 2017 (अधिसूचित शून्य जीएसआर 877(ई) दिनांक 13.07.2017)**
   - सीबीए नियम, 2017 ने पुराने 2012 के किए गए विभिन्न संशोधनों को समेकित किया और 2012 के नियमों को प्रतिस्थापित किया।
   - नियम कोयला खान (विशेष प्रावधान) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप बनाए गए हैं ताकि कोयला ब्लॉको / खानों के आवंटन के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था हो।

6. सार्वजनिक हित में एक ही अंत्य उपयोग और लागत दक्षता हासिल करने के लिए कोयला खान के इष्टतम उपयोग के लिए सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 को तहत आवंटित कोयला खानों से निकाले गए कोयले के उपयोग में कुछ लचीलेपन के साथ विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला ब्लॉक आवंटित करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा एक कार्यप्रणाली तैयार की गई थी। इस कार्यप्रणाली को 22.09.2017 को जारी की गई थी।

वर्ष 2018

क) कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) और 'खान प्रहरी' ऐप

(v) अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए 4 जुलाई 2018 को कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) और 'खान प्रहरी' ऐप लॉन्च किया गया है। अवैध कोयला खनन गतिविधि का 2 तरीकों से पता लगाया जा सकता है: सैटेलाइट डेटा की स्कैनिंग के माध्यम से और 'खान प्रहरी' मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा नागरिकों द्वारा रिपोर्ट के माध्यम से।

(vi) खान डेटा प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (एमडीएमएस पोर्टल) 2018 में कोयला परियोजनाओं के लिए एक ऑनलाइन डेटा भंडार के रूप में लॉन्च किया गया था।

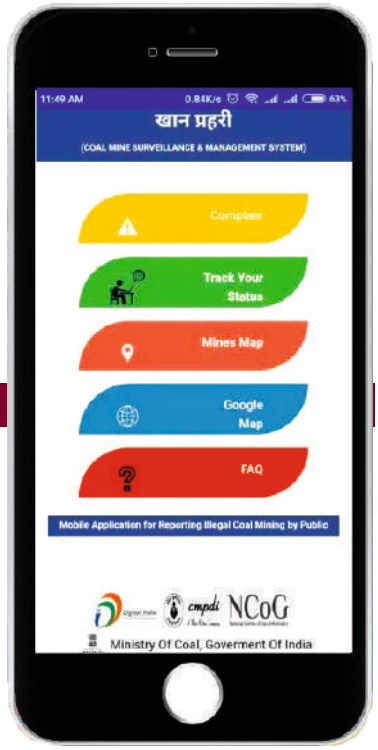

वर्ष 2019

1. सरकार ने कोयला खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा की है, और उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा दिनांक 18.09.2019 को एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें समय-समय पर संशोधित सीएम (एसपी) अधिनियम और एमएमडीआर अधिनियम और इस विषय पर अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन संबद्ध प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे सहित कोयले की बिक्री, कोयला खनन गतिविधियों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है।

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के उत्तर प्रदेश स्थित कृष्णशिला क्षेत्र में ईको-फ्रेंडली बेल्ट पाइप कन्वेयर के जरिये कोयला परिवहन

2. 2019 में अधिसूचित स्टार रेटिंग नीति की शुरूआत-सुरक्षा, संरक्षा, पर्यावरण, खनन प्रथाओं, प्रौद्योगिकियों को अपनाने, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, श्रमिकों के कल्याण आदि की पहचान करने हेतु।

वर्ष 2020

1. **खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020**

   खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020 को भारत के राजपत्र में दिनांक 13.03.2020 (सीएमएसपी अधिनियम) में अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएडीआर अधिनियम) और कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (सीएमएसपी अधिनियम) को संशोधित किया।

2. **कोयला ब्लॉक आवंटन (संशोधन) नियम, 2020**

   कोयला ब्लॉक आवंटन (संशोधन) नियमों को खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा किए गए एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन के आलोक में 18.05.2020 के प्रभाव से कोयला ब्लॉक आवंटन (संशोधन) नियम 2020 के तहत संशोधित किया गया है। उक्त संशोधन पीएल-सह-एमएल के लिए कोयला ब्लॉकों के आवंटन की प्रक्रिया के बारे में विवरण प्रदान करने के लिए किए गए हैं।

3. **कोल लिंकेज में आनुपातिक कमी के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया :**

   आवंटित कोयला खानों/ब्लॉकों से कोयले की आवश्यकता के आधार पर आवंटित कोयला ब्लॉक को कोयला लिंकेज में आनुपातिक कमी के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार की गई है और 14.02.2020 को जारी की गई है।

4. खनन योजना एवं खान बंद करने की योजना तैयार करने एवं अनुमोदन हेतु संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 29.05.2020 को जारी किया गया। अब, इसे एसडब्ल्यूसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा और अनुमोदित किया जा रहा है।

5. खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2020 (एमसीआर) मे परिवर्तन और संशोधित एमसीआर 2020 को 29.05.2020 को अधिसूचित किया गया– 'खनन योजना और खान बंद करने की योजना की तैयारी और अनुमोदन के लिए संशोधित दिशानिर्देश' जारी करने के उद्देश्य से खनिज रियायत नियम (एमसीआर) में संशोधन खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2020 के रूप में बनाए गए।

वर्ष 2021

1. संपत्ति मुद्रीकरण योजना

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना के लिए नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य 3394 करोड़ रुपये है, जिसके लिए कोयला मंत्रालय ने अब तक 19,915.15 करोड़ रुपये की राशि हासिल की है।

2. कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2021 (राजपत्र जीएसआर 546 (ई) दिनांक 09.08.2021 के तहत अधिसूचित:

विभिन्न अनुपालनों की प्रासंगिकता और आवश्यकता की जांच करने के साथ-साथ समानांतर अनुपालनों को दूर करके व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाने के लिए संबंधित प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत, कम करने और सरल बनाने के उद्देश्य से, सीएमसीडी अधिनियम और सीएमसीडी नियमों को एक अधिनियम को अनुपालन बोझ से कम करते हुए निरस्त कर दिया गया है, और सीसीआर, 2004 को कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2021 में संशोधित किया गया है, जिसे भारत के राजपत्र में जीएसआर 546 (ई) दिनांक 09.08.2021 के माध्यम से अधिसूचित और प्रकाशित किया गया है।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मध्य प्रदेश स्थित जमुना कोतमा क्षेत्र में पौधारोपण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड

3. **कैप्टिव कोयला खानों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित 50% कोयले की बिक्री की अनुमति देने वाला उदारीकरण – खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 (01.10.2021 को जीएसआर 717 (ई) के माध्यम से अधिसूचित)**

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 ने एमएमडीआर अधिनियम 1957 में संशोधन किए। उक्त संशोधनों ने खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1960 मे संशोधन की आवश्यकता हुई। इसलिए, एमसीआर, 1960 को खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 के माध्यम से उचित रूप से संशोधित किया गया है।

उक्त संशोधनों का उद्देश्य कैप्टिव खानों के पट्टेदारों को निर्धारित मात्रा में कोयला या लिग्राइट बेचने की अनुमति देकर खुले बाजार में घरेलू कोयले या लिग्राइट की उपलब्धता को बढ़ाना है। कोयले या लिग्राइट की निर्धारित मात्रा में बिक्री के लिए भत्ता भी कैप्टिव पट्टेदारों को कैप्टिव खानों से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा, बेचे गए कोयले या लिग्राइट की मात्रा के संबंध में अतिरिक्त राशि, रॉयल्टी और अन्य वैधानिक भुगतानों के भुगतान से राज्य सरकारों के राजस्व में वृद्धि होगी।

4. **विपणन सुधार**

क्रिसिल लिमिटेड को कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज की स्थापना की प्रक्रिया में कोयला मंत्रालय की सहायता के लिए रणनीतिक और कार्यन्वयन प्रबंधन परामर्श सेवाए प्रदान करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। देश में कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज की स्थापना से ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोयला बाजार खुल जाएगा और बाजार में कोयले की आसानी से उपलब्धता हो जाएगी।

5. कोयला खानों में सुरक्षा के उपाय सुझाने और निजी क्षेत्र की कोयला खानों का निरीक्षण करने के लिए सुरक्षा पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के छत्तीसगढ़ स्थित विश्रामपुर क्षेत्र में विकसित केनापारा ईको-टुरिजम साइट

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में कोयला खदान के पानी से तैयार मिनरल वॉटर 'कोल नीर'

6. मिशन कोयला गैसीकरण शुरू किया गया है। कोयले का विविधीकरण और भूतल कोयला गैसीकरण की अवधारणा की शुरुआत की गई है – सीआईएल / एनएलसीआईएल में 03 परियोजनाओं में निविदा जारी की गई है और 3 और परियोजनाओं की पहचान की गई है।
7. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2017 में सीआईएल को अपने कमांड क्षेत्र से सीबीएम निकालने की अनुमति दी है। 3 परियोजनाओं की पहचान की गई: एक परियोजना में, बोलीदाताओं का चयन किया गया और अन्य 02 परियोजनाओं के लिए, 3 बार निविदाएं मंगाई गई, कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।
8. कोयला मंत्रालय की विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के तहत अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र की पहचान की गई और भविष्य की अनुसंधान परियोजनाओं के लिए परिचालित किया गया।
9. सीआईएमएफआर, आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास जैसे शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को शामिल करते हुए कोयला गैसीकरण, झरिया फायर डीलिंग और भूमिगत खनन की दिशा में अनुसंधान प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक संसाधन समिति का गठन किया गया है।
10. स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) की तकनीकी उप–समिति का पुनर्गठन किया गया और शैक्षिणिक संस्थान शामिल थे। तकनीकी उप–समिति के अध्यक्ष अब आईआईटी बीएचयू, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी आईएसएम के बीच रोटेशन पर होंगे।
11. अनुसंधान परियोजनाओं पर सूचना के प्रसार के लिए वेब साइट का विकास किया गया।
12. खानों की निगरानी और माप में ड्रोन का परिचय। सीएमपीडीआई द्वारा निष्पादित 2 परियोजनाएं।
13. 'कोयले से हाइड्रोजन तक' का रोडमैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स और विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।
14. एसपीवी, मुख्य रूप से– एमसीआरएल, जेसीआरएल, सीईआरएल और सीईडब्लूआरएल; झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगड़ में कोयला निकासी के लिए रेल परियोजनाओं को लागू करने के लिए स्थापित किया गया है। कोयले की निकासी के लिए 14 रेल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

उपलब्धियां :

1. वाणिज्यिक खनन

अब तक, कुल 105 कोयला ब्लॉक जिनकी कुल अधिकतम रेटेड क्षमता – 512 एमटी/वार्षिक और लगभग 15,000 मीट्रिक टन के भूवैज्ञानिक रिजर्व को नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवंटित किया गया है। [105 सीएमएसपी अधिनियम, 2015 के तहत और 18 एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत]। इसमें से 47 कोयला खानों को खान खोलने की अनुमति मिल गई है, जिनमें से 36 कोयला ब्लॉक वास्तव में उत्पादन कर रहे हैं।

कोयला ब्लॉक आवंटन स्थिति (सीएमएसपी ब्लॉक)		पीआरसी (मि.ट.)
आवंटित खानों की कुल संख्या	105	512.07
खान खोलने की अनुमति (एमओपी) वाली खानें	47	171.55
जिन खानों को खान खोलने की अनुमति नहीं है	58	340.52
खान खोलने की अनुमति प्राप्त 47 खानों में से, कोयला उत्पादन के अधीन खानें	36	128.95
नई खानों को 2022-23 में खान खोलने की अनुमति मिलने की संभावना है	11	57.57
नई खानों में 2022-23 में कोयला उत्पादन शुरू होने की संभावना	12	54.27
कोयला ब्लॉक आवंटन स्थिति (एमएमडीआर ब्लॉक)		**पीआरसी (मि.ट.)**
आवंटित खानों की कुल संख्या	18	41.87 (7 खानों के लिए)
खान खोलने की अनुमति वाली खानें	0	0

2. कोयला आयात प्रतिस्थापन

कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से दिनांक 29.05.2020 को कोयला मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधि (सीईए), कोयला कंपनियां और बंदरगाह इस आईएमसी के सदस्य हैं। आईएमसी के निर्देश पर, कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात डेटा सिस्टम विकसित किया गया है ताकि मंत्रालय कोयले के आयात को ट्रैक कर सके। कोयले की अधिक घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोयला आयात प्रतिस्थापन के कार्य को अगले स्तर तक ले जाने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड को 2023-24 तक शून्य कोयला आयात मिशन की योजना बनाने के लिए कहा गया है।

घरेलू और आयातित कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों, दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र द्वारा कोयले का आयात अप्रैल–दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 39% कम हुआ है।

विगत आठ वर्षों 2013–14 से 2020–21 के दौरान कोयले के आयात का विवरण इस प्रकार है–

2013–14 से 2021–22 तक (नवंबर 2021 तक) कोयले का देश–वार आयात

(मात्रा मिलियन टन में और मूल्य मिलियन रुपये में)

वर्ष	कोकिंग कोल		गैर कोकिंग कोल		कुल कोयला	
	मात्रा	मूल्य रु.	मात्रा	मूल्य रु.	मात्रा	मूल्य रु.
2013-14	36.872	348318.65	129.985	574973.16	166.857	923291.81
2014-15	43.715	337655.59	168.388	707585.71	212.103	1045241.30
2015-16	44.561	282519.09	159.388	577818.53	203.949	860337.62
2016-17	41.644	412300.61	149.365	590772.69	191.009	1003073.30
2017-18	47.003	595226.36	161.245	789543.41	208.249	1384769.77
2018-19	51.838	720497.64	183.510	988707.26	235.348	1709204.90
2019-20	51.833	612668.32	196.704	914652.23	248.537	1527320.55
2020-21	51.198	453552.10	164.054	706688.44	215.251	1160240.54
2021-22 (नवंबर 21)	39.780	580134.18	107.363	772412.34	147.143	1352546.52
2020-21 (नवंबर 20)	29.736	267746.43	104.817	430607.76	134.553	698354.19
बृद्धि %	33.776	116.67	2.429	79.38	9.357	93.68

स्त्रोत : भारत की प्रकाशित सीसीओ निर्देशिका 2020–21

3. विद्युत क्षेत्र लिंकेज नीति–शक्ति

सरकार ने मौजूदा आश्वासन पत्र (एलओए) – ईंधन आपूर्ति (एफएसए) प्रणाली को खत्म करने की मंजूरी दी और भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के दोहन और आवंटन के लिए योजना (शक्ति), 2017 की शुरुआत की, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा 22.05.2017 को जारी किया गया था। सरकार ने शक्ति नीति, 2017 में संशोधन को भी मंजूरी दी, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा 25.03.2019 को जारी किया गया था।

4. कोयला लिंकेज का युक्तिकरण

विद्युत क्षेत्र (राज्य / केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए) में कोयला लिंकेज युक्तिकरण के परिणामस्वरूप खानों से विद्युत संयंत्रों तक परिवहन लागत में कमी आई है जिससे अधिक कोयला आधारित विद्युत का उत्पादन हुआ है। कोयला मंत्रालय ने 2018 में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के लिए लिंकेज युक्तिकरण के लिए नीति जारी की है। 2014 से, अब तक 6931.86 करोड़ रु. वार्षिक संभावित बचत के साथ कुल 98.16 मिलियन टन कोयले का युक्तिकरण किया गया है।

2020 में लिंकेज युक्तिकरण पर एक नई पद्धति तैयार की गई है जिसमें विद्युत क्षेत्र के साथ–साथ गैर–विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) शामिल हैं और आयातित कोयले के साथ कोयले की अदला–बदली की भी अनुमति दी गई है।

5. तृतीय पक्ष नमूनाकरण

कोयले की गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं (विद्युत उपयोगिताओं) की चिंताओं को दूर करने के लिए, कोयला कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 2015 में तीसरे पक्ष के नमूने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शुरू की गई है, जिसके लिए केन्द्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर, एक सीएसआईआर संस्थान) को कोयला कंपनियों और विद्युत क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से लगाया गया है।

6. फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी

कोयला कंपनियों ने खदानों में कोयले के सड़क परिवहन को समाप्त करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने की रणनीति तैयार की है।

- कन्वेयर बेल्ट सिस्टम द्वारा मशीनीकृत कोयला परिवहन के लिए सीआईएल, एससीसीएल और एनएलसीआईएल के लिए तैयार की गई एफएमसी परियोजना; मौजूदा 151 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से 2023-24 तक 609 एमटीपीए।
- 2019 में 39 परियोजनाओं (458 एमटीपीए) की पहचान की गई।
- 2022-23 में 18 एफएमसी परियोजनाएं चालू की जाएंगी।

7. पड़ोसी देशों में कोयला निर्यात

सीआईएल को सुझाव दिया गया है कि निर्यात के उद्देश्य से कोयले की बिक्री के लिए सीआईएल की विशेष स्पॉट ई-नीलामी / स्पॉट ई-नीलामी विंडो का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, जिस कोयले का घरेलू बाजार में उपयोग/बिक्री नहीं की जा सकती है, उसका ही निर्यात किया जाना चाहिए। सीआईएल घरेलू मांग को पूरा करने के बाद कोयले के निर्यात के लिए पड़ोसी देशों द्वारा मंगाई गई निविदाओं में भी भाग ले सकती है। इसके अलावा, पड़ोसी देशों के व्यापारी / कोयला उपभोक्ता भी सीआईएल की विशेष स्पॉट ई-नीलामी स्पॉट ई-नीलामी विंडो में भाग ले सकते हैं।

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मध्य प्रदेश स्थित अमलोरी क्षेत्र के अधिभार डंप पर किया गया पौधारोपण

8. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बंकोला क्षेत्र में विकसित गार्डन

क) कोल इंडिया लिमिडेट (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियां

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21
सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये)	409.37	298.10	1076.07	489.67	483.78	416.47	587.84	553.85

2013-14

- 2013-14 के दौरान, सीएसआर व्यय 407.37 करोड़ रु.

2014-15

- **सीएसआर - कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों ने सीएसआर पहल पर वित्त वर्ष 2015 में 298.10 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं :**
  - 30,340 स्कूलों में स्वच्छ विद्यालय अभियान के माध्यम से 48,735 शौचालयों के निर्माण।
  - टाटा मेडिकल सेंटर (टीएमसी) के साथ समझौते ने प्रेमाश्रय के निर्माण के लिए 41.11 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं ''एक दस मंजिला इमारत जो इलाज के लिए टीएमसी में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर बाहरी रोगियों के लिए आवास की सुविधा प्रदान करती है।
  - पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिले पुरुलिया के 40 गांवों में विकास कार्यों के निष्पादन के लिए 32.92 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) के साथ समझोता ज्ञापन।
  - परियोजना के लिए 6.40 करोड़ रुपये के योगदान के साथ पीपीपी मॉडल पर औद्योगिक भागीदारों में से एक के रूप में कल्याणी में एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) की स्थापना।
  - **कोल इंडिया ने निम्नलिखित का भी निधियन किया-**
    - अलीपुरद्वार नगर पालिका, पश्चिम बंगाल के वंचित लोगों के लिए 78.40 लाख रुपये की लागत से जल उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए।
    - रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, मुजफ्फरपुर, बिहार में 4.93 करोड़ रु. की लागत से 100 बिस्तरों वाले चेरिटेबल आई, कान और जीभ / दंत / डाइग्नोस्टिक केन्द्र के निर्माण के लिए।

ओडिशा के संबलपुर में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा स्थापित सोलर पावर प्लांट

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मध्य प्रदेश स्थित पेंच क्षेत्र की टाउनशिप के आसपास फैली हरियाली

- ग्रामीण आबादी में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लार्जर अवेयरनेस (एनआईएलए), असम जहां साक्षरता कम है, जिसकी लागत 31.51 लाख रुपये है।
- नेशनल चैरिटेबल सोसाइटी, प्रतापगड़, यूपी में 50 सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइट और 50 हैंड पंपों की स्थापना के लिए 30.45 लाख रुपये। सुनेबेड़ा क्षेत्र विकास एजेंसी (एसएडीए), ओड़िशा, 3.60 करोड़ रु. की लागत से 12,000 परिवारों को साइकिल उपलब्ध कराने के लिए।

2015-16

- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व :** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में सीएसआर पर कुल व्यय रु. 1076.07 करोड़ और नेपाल भूकंप राहत कोष में रु. 6.00 करोड़ रुपये कुल 1082.07 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।
- **कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं :**
  - 53,412 शौचालयों का निर्माण कर स्वच्छ विद्यालय अभियान की दिशा में पहल। इन शौचालयों के निर्माण पर 31 मार्च, 2016 तक कुल 820.44 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
  - 1.14 करोड़ रुपये की लागत से कोलकाता में जलीय खेल छात्रावास का निर्माण।

झारखंड में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लोदना क्षेत्र में विकसित गोकुल पार्क

- यातायात विभाग, कोलकाता पुलिस 69.85 लाख रु. की लागत से सड़क सुरक्षा के प्रति स्कूली बच्चों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए।
- पश्चिम बंगाल आवासीय अवसंरचना विकास निगम कोलकाता को 5 करोड़ रुपये की लागत से 3 इलेक्ट्रिक बसें और 1 छोटा इलेक्ट्रिक सर्विस मेंटेनेंस व्हीकल खरीदने के लिए।
- स्कूल शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल, सरकार के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और नदिया जिले पश्चिम बंगाल में छात्राओं को 2.88 करोड़ रु. की लागत से 9,000 साइकिलें प्रदान करने के लिए।

2016-17

- कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2017 के अंत में सीएसआर पहलों पर 489.67 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
- **की गई प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं-**
  - युवा मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से 75 करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) के परियोजना परिव्यय पर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का प्रशिक्षण और तैयारी।
  - 65 करोड़ रुपये के परिव्यय से 10 शहरों में 16 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना।

2017-18

- कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2018 के अंत में सीएसआर पहल पर 483.78 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
- **की गई प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं-**
  - क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, टाटा मेडिकल सेंटर, कोलकाता, राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ को प्रति रोगी 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के माध्यम से थैलेसीमिया रोगियों में बीमारी का इलाज और बेहतर प्रबंधन।

- ऊर्जा संसाधन संस्थान (टेरी) के माध्यम से पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में विभिन्न विकास कार्य :
  - घरों की ऊर्जा जरूरतों के लिए नवीकरणीय समाधानों को बढ़ावा देना — एकीकृत घरेलू ऊर्जा प्रणालियों और सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना।
  - कृषि, हरित और क्षमता निर्माण पहलें।
  - स्वच्छता – 5,660 घरों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण।
  - 40 विद्यालयों में ज्ञान एवं संसाधन केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा।
- मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण — एमसीएल द्वारा तालचेर, ओडिशा में महानदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च (एमआईएमएसआर)।
- सीसीएल के लाल / सीसीएल की लाडली — आईआईटी, एनआईटी और देश के अन्य प्रतिष्ठित कॉलेजों में प्रवेश के लिए उपस्थित होने के लिए सीसीएल के कमांड क्षेत्रों में रहने वाले पीएपी (परियोजना प्रभावित लोगों) के मेधावी छात्रों को 10 वीं और 12 वीं कक्षा के लिए आवास, बोर्डिंग और औपचारिक स्कूली शिक्षा के साथ विशेषज्ञों से कोचिंग प्रदान करके सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक पहल।

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मध्य प्रदेश स्थित अमलोरी क्षेत्र से मेरी-गो-राउंड के जरिये कोयले का परिवहन

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के महाराष्ट्र स्थित वणि क्षेत्र में धूल की रोकथाम के लिए वॉटर स्प्रिंकलर का उपयोग

- एसईसीएल द्वारा ग्रीन हाईवे को अपनाना — एनएच–78 के साथ शहडोल से मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़ सीमा तक सड़क किनारे वृक्षारोपण (लगभग 100 किमी) एनएचएआई के माध्यम से कार्यान्वित किया गया।
- बीसीसीएल द्वारा मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से ग्रामीणों का उपचार किया गया जिसमें 1.19 लाख से अधिक लाभार्थी हैं।
- महंगे चिकित्सा उपकरणों की खरीद के माध्यम से सीआईएल द्वारा कोलकाता में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एवं डाइजेस्टिव साइंसेज (आईआईएलडीएस) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।

2018–19

- वित्तीय वर्ष में बुक किया गया सीएसआर व्यय 416.47 करोड़ रुपये था।
  - सीएसआर परियोजना ''थैलेसीमिया रोगियों में बीमारी का इलाज और बेहतर प्रबंधन'' के तहत गरीब मरीजों को राहत देते हुए छह प्रमुख अस्पतालों में जून, 2019 तक 105 अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण ऑपरेशन किए गए हैं।
  - पुरुलिया जिले में टेरी की ग्रामीण विकास परियोजना की एक अन्य प्रमुख परियोजना है। अब तक 8,891 सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, 100 सोलर स्ट्रीट लाइट, 7,342 बेहतर कुक स्टोव लगाए जा चुके हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में जून 2019 तक लगभग 5,500 शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है।
  - झारखंड के गोड्डा में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ओडिशा में साआईएल की सहायक कंपनी की वित्तीय सहायता से तालचेर में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बन रहे हैं।

2019-20

- सीआईएल और उसकी अनुषंगियों ने 2019-20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 587.84 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सीआईएल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए निम्नानुसार महत्वपूर्ण योगदान दिया है:
  - चक्रवात फानी के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत पारेषण लाइनों को पुन:स्थापित करने के लिए ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉपोरेशन लिमिटेड (ओपीटीसीएल) को 50.32 करोड़ रु.।
  - कर्नाटक के धारवाड़ और बागलकोट जिलों में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूल भवनों के पुनर्निमाण के लिए 25 करोड़ रु.।
  - असम के बाढ़ प्रभावित माजुली जिले में अजीविका पुनर्वास परियोजना और जल एम्बुलेंस की खरीद के लिए 16.50 करोड़ रुपये।
  - कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए पीएम केयर्स फंड में 160 करोड़ रुपये का योगदान दिया।
  - सीआईएल की दो सहायक कंपनियों, सीसीएल को खेल को बढ़ावा देने के लिए और एमसीएल को स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में योगदान के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

झारखंड में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बरोरा क्षेत्र में ईको-रेस्टोरेशन साइट

2020-21

- सीआईएल और उसकी अनुषंगियों ने सीएसआर गतिविधियों पर 553.85 करोड़ रु. खर्च किए हैं, वर्ष के कुल खर्च किए गए सीएसआर में से, 48.57% विशेष रूप से खनन क्षेत्रों की निकटता वाले समुदाय के लाभ के लिए कोविड राहत उपायों पर खर्च किया गया था।
  - लगभग 1,500 बिस्तरों की स्थापना इसे भारतीय कॉरपोरेट्स के बीच सबसे बड़े मोबिलाइजर्स में से एक बनाती है।
  - सीएसआर के प्रयास महामारी की दूसरी लहर के दौरान लगातार जारी रहे और साथ ही कुल बिस्तरों की संख्या दोगुनी से अधिक 3,900 हो गई।
  - अपने और सरकारी अस्पतालों सहित 27 अस्पतालों में 29 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय।
  - एमसीएल ने भुवनेश्वर में 525 बिस्तरों का अस्पताल और लखनपुर में 150 बिस्तरों का अस्पताल स्थापित किया है।
  - सीआईएल ने एसईसीएल के अंतर्गत अंबिकापुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों को कोविड उपचार केन्द्रों में बदल दिया है एसईसीएल और कर्नाटक के धारवाड़ में एक अन्य अस्पताल को 100 बिस्तरों वाले कोविड उपचार केन्द्र में परिवर्तित किया है।
  - एनसीएल ने उत्तर प्रदेश सरकार को 50 एम्बुलेंस प्रदान की हैं।
  - जरूरतमंद समुदाय को 3 लाख से अधिक मुफ्त भोजन के पैकेट, 17.56 लाख से अधिक मास्क और 80,800 लीटर से अधिक हैंड सैनिटाइजर का वितरण किया।

ओडिशा में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के जगन्नाथ क्षेत्र में विकसित ईको-पार्क

मध्य प्रदेश में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निगाही कोयला खदान में फैली हरियाली

ख) एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21
सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये)	26.30	47.49	81.93	37.91	45.03	53.16	89.75	52.79

पिछले 8 वर्षों के दौरान एनएलसीआईएल की समेकित सीएसआर प्रमुख गतिविधियां :

i. पांच अलग-अलग राज्यों के विभिन्न अस्पतालों में 28 ऑक्सीजन संयंत्रों का निर्माण।
ii. विभिन्न अस्पतालों को 450 ऑक्सीजन सांद्रक दिए गए।
iii. स्कूल शिक्षा आयुक्त, तमिलनाडु सरकार के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों के तहत सरकारी स्कूलों में व्यक्ति के लिए सीखने के त्वरण के लिए सहायता (एएलएआई) में सुधार के लिए योगदान राशि।
iv. नदी की सफाई और गाद निकालना और टैंकों को गहरा करना।
v. आकांक्षी जिले, रामनाथपुरम के एट्टीवायल गांव में ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया गया।
vi. तूतीकोरिन के आसपास के गांव के उन लोगों को राहत सामग्री, खाद्यान्न और किराने का सामान उपलब्ध कराने पर व्यय किया गया जिनकी आजीविका कोविड-19 लॉक डाउन से प्रभावित है।

महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नागपुर क्षेत्र का महात्मा गांधी ईको-पार्क

vii. थमीरबरनी नदी के विभिन्न स्थानों में गाद निकालना, तालाबों को गहरा करना और जंगल, सीमाई करुवेलम को हटाना।

viii. एनएलसीआईएल अस्पताल, नेयवेली में आसपास के गांवों के आम निवासियों और मरीजों के लिए ओपी उपचार जैसे स्वास्थ्य देखभाल पहलों को बढ़ावा देना, परिधीय गांवों में रक्तदान शिविर आयोजित करना।

ix. बेटी बचाओ योजना के तहत नवजात शिशुओं को बेबी किट का वितरण।

x. जिला कुड्डालोर, तमिलनाडु के पीएचसी और सरकारी अस्पतालों में कंपाउंड दीवारों, सेप्टिक टैंक, शौचालय ब्लॉक, रोगी प्रतीक्षा कक्षों का निर्माण और डीजल जेनरेटर सेट और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।

xi. चिदंबरम में चक्रवात निवार और ब्यूरेवी से प्रबावित जरूरतमंद परिवारों को 50 टन चावल का वितरण।

xii. जिला कुड्डालोर, तमिलनाडु के पीएचसी और सरकारी अस्पतालों में कंपाउंड दीवारों, सेप्टिक टैंक, शौचालय ब्लॉक, रोगी प्रतीक्षा कक्षों का निर्माण और डीजल जेनरेटर सेट और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।

xiii. नारिकुडी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) में आम जनता के उपयोग के लिए एम्बुलेंस प्रदान करना।

xiv. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए कोविड-19 टीकाकरण कोल्ड चेन उपकरणों की खरीद।

xv. तमिलनाडु में जिला कुड्डालोर में विभिन्न गांवों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्कूलों आदि में आरसीसी ओएच टैंकों का निर्माण, बोरवेल उपलब्ध कराना और सबमर्सिबल पंपों की स्थापना।

xvi. विरुधुनगर और रामनाथपुरम आकांक्षी जिले के पेराइयूर गांव में सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल और मलयापट्टी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सरकार को बोरवेल का निर्माण।

xvii. कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु के स्कूलों में छात्रों के लाभ के लिए 14 इंसीनरेटर्स की स्वच्छता सेवाएं और स्थापना और कमीशनिंग।

xviii. कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में रेस्ट रूम का निर्माण और आरओ शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।

xix. विल्लुपुरम जिले के प्राथमिक यूनियन स्कूल (पीयूएमएस), बैरापुरम, ओलक्कुर ब्लॉक में शौचालयों का निर्माण, परिसर की दीवार, नया चरण, कक्षा कक्षों का नवीनीकरण और बोरवेल।

xx. जिला कुड्डालोर, तमिलनाडु के विभिन्न स्कूलों में पुस्तकालय निर्माण, अतिरिक्त कक्षा भवन, खेल के मैदानों का निर्माण, परिसर की दीवार, स्कूल के मैदान, शौचालय, खुले बहुउद्देशीय हॉल, स्मार्ट क्लास सेटअप क्लास रूम, कंपाउंड की दीवार का सुदृढ़ीकरण, विज्ञान शिक्षा के लिए स्कूल लैब उपकरण, उच्च जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण एनएलसी स्कूलों आदि में मास्ट लाइट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम।

xxi. राजस्थान में ग्रामीण विकास के लिए सड़कें और सार्वजनिक प्रतीक्षालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और प्रदान करना।

झारखंड में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के एन.के. क्षेत्र में विकसित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड

xxii. कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु में ग्रामीण विकास के लिए निर्माण और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, जैसे कि आरसीसी स्लैब पुलिया, सामुदायिक हॉल, गंगकोंडन वार्ड नंबर II से माइन–II एप्रोच रोड, माइन–I।

xxiii. हुबली में आदिवासी कला और संस्कृति को बढ़ावा देना।

xxiv. कोविड–19 के लिए 'पीएम केयर्स फंड' में 20 करोड़ रु. का योगदान।

xxv. एसएचजी नेताओं के लिए विजन प्लानिंग अभ्यास पर कार्यशाला का आयोजन।

xxvi. कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए डिजिटल कैमरा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता।

xxvii. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोलाथुर में खेल के बुनियादी ढांचे का विकास।

xxviii. झीलों की गाद निकाल कर जल संसाधन का संवर्धन।

xix. राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण।

xxx. सशस्त्र बलों का कल्याण।

xxxi. जनप्रवेश – नेयवेली टीएस की सामाजिक सुविधाओं को परिधीय गांवों तक सस्ती पहुंच प्रदान करना और एनएलसी बस सेवा द्वारा सेवाओं को जोड़ना।

xxxii. विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन, खेल सामग्री आदि उपलब्ध कराना।

ओडिशा के महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के तालचर कोलफील्ड्स में पाइप कन्वेयर के जरिये कोयला परिवहन के लिए निर्माणाधीन ढांचा

झारखंड में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के पिपरवार क्षेत्र में विकसित कायाकल्प वाटिका में खेलते बच्चे

xxxiii. आकांक्षी जिले रामनाथपुरम के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण।

क) सरकारी हाई स्कूल, एलानचेम्बुर विलेज के लिए कक्षा भवन का निर्माण।

ख) कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना के लिए प्रिंटर और स्कैनर वाले कंप्यूटर।

xxxiv. आकांक्षी जिले विरुधुनगर के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण।

क) सरकारी हाई स्कूल, के चेट्टीकुलम गांव के लिए परिसर की दीवार।

ख) थुमुचिन्नमपट्टी गांव में सरकारी हायर सेकेंड्री स्कूल के लिए कक्षा भवन।

ग) सरकारी हाई स्कूल, उलीथमदई गांव में फर्श, दीवारों आदि के लिए कुछ सुधार कार्य।

घ) सरकारी हायर सेकेंड्री स्कूल, रेड्डीपट्टी विलेज के लिए छत के साथ डायस के निर्माण सहित पेवर ब्लॉक के साथ फर्श।

xxxv. तमिलनाडु जिला कुड्डालोर के विभिन्न स्कूलों से एनएलसी स्कूलों आदि में पुस्तकालय भवन, अतिरिक्त कक्षा भवन, खेल के मैदानों का निर्माण, कंपाउंड की दीवार, स्कूल के मैदान, शौचालय, खुले बहुउद्देशीय हॉल, स्मार्ट क्लास सेटअप क्लास रूम, कंपाउंड की दीवार का सुदृढीकरण, विज्ञान शिक्षा के लिए स्कूल लैब उपकरण, उच्च जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण और मास्ट लाइट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रदान करना।

xxxvi. एनएलसीआईएल अस्पताल, नेयवेली में आसपास के गांवों के आम निवासियों और मरीजों के लिए ओपी उपचार जैसे स्वास्थ्य देखभाल पहलों को बढ़ावा देना, परिधीन गांवों में रक्तदान शिविर आयोजित करना।

xxxvii. ठेका श्रमिकों के बच्चों को शैक्षिक सहायता में योगदान।

xxxviii. विरुधुनगर और रामनाथपुरम के आकांक्षी जिले में ग्यारह सरकारी स्कूलों में मिनी साइंस सेंटर की स्थापना।

xxxix. मंदिरों को बैटरी से चलने वाली कार उपलब्ध कराना।

xl. राजस्थान में ग्रामीण विकास के लिए सड़कें और सार्वजनिक प्रतीक्षालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और प्रदान करना।

xli. पीएवी (परियोजना प्रभावित क्षेत्र) के स्कूलों को 8 कंप्यूटर प्रदान करना।

xlii. अश्वरमऊ जल निकाय के जलाशयों का नवीनीकरण।

xliii. एम्बुलेंस और मोबाइल हेल्थकेयर।

xliv. यूपी के मिर्जापुर में 5 आरओ प्लांट की स्थापना।

xlv. बांध व धारछुआ में ओवरहेड वाटर टंकियों के लिए जल वितरण पाइपलाइन की स्थापना।

xlvi. पीएवी (परियोजना प्रभावित क्षेत्र) में 80 हैंडपंपों की स्थापना।

xlvii. सजेती, कानपुर उत्तर प्रदेश में वॉशरूम का निर्माण और संबंधित मरम्मत।

xlviii. 2 प्राइमरी स्कूल, 7 मिडिल स्कूल और 1 हाई स्कूल का नवीनीकरण।

xlix. सभी सामान के साथ 180 एएच सौर बैटरी प्रणाली के साथ 1000 वीए सौर इन्वर्टर के साथ 500 डब्ल्यूपी के 8 सौर पैनलों की स्थापना।

ओडिशा के संबलपुर में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा विकसित गोल्फ कोर्स

Scan this QR code to visit Ministry of Coal's YouTube channel

Scan this QR code to visit Coal India's YouTube channel

मुद्रक : सरस्वती प्रेस लिमिटेड